कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 293/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 16.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 16.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना- रानी की सरायः महिला से छेडखानी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनाँक 13.08.2025 को आवेदिका थाना रानी की सराय आजमगढ उम्र 22 वर्ष उपस्थित थाना कर एक प्रा0पत्र दिया कि विपक्षी द्वारा आवेदिका के साथ मोबाइल नं0 कागज पर फेंककर छेड़खानी करने का प्रयास किया गया तथा विरोध करने पर गाली गुप्ता देते हुए आवेदिका की बहन को बाल पकड़कर मारपीट की गयी, जान से मारने की धमकी भी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 248/25 धारा 74,115(2),352,351(3)बीएनएस बनाम उमेश पासवान पुत्र रामशबद पासवान निवासी चाँदीटीकर थाना रानी की सराय आजमगढ पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त मे धारा 78(1) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक- 16.08.2025 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव, उ0नि0 राजकेश्वर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उमेश पासवान पुत्र रामशबद पासवान निवासी चाँदीटीकर थाना रानी की सराय आजमगढ को कस्वा रानी की सराय से समय करीब 13.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 248/25 धारा 74,115(2),352,351(3)/78(1) बीएनएस थाना रानी की सराय आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- उमेश पासवान पुत्र रामशबद पासवान निवासी चाँदीटीकर थाना रानी की सराय आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

(2) उ0नि0 राजकेश्वर सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

(3) का0 हृदेश गुप्ता थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

02. थाना महराजगंजः अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 13.08.25 को वादिनी मुकदमा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना महराजगंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी आदर्श सिंह पुत्र विकास सिंह सा0 शम्भूपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के द्वारा अपने सहयोगिंयों के साथ मिलकर वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गये है, के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 222/25 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम 1.आदर्श पुत्र विकास सिंह सा0 सम्भूपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ 2.विकास चौधरी पुत्र सुरेश चौधरी सा0 पहाड़पुर मोहल्ला निसवागली पुलिस चौकी पहाड़पुर जनपद आजमगढ़ 3. हर्ष सिंह पुत्र अज्ञात के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 सुबाष सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 16.08.2025 को उ0नि0 सुबाष सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त 1.आदर्श सिंह उर्फ शिवनन्दन सिंह पुत्र विकास सिंह सा0 शम्भूपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को नरोत्तमपुर पुलिया के पास से दिनांक 16.08.2025 को समय 12.10 बजे दिन में हिरासत पुलिस में नियमानुसार गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.आदर्श सिंह उर्फ शिवनन्दन सिंह पुत्र विकास सिंह सा0 शम्भूपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 222/25 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना महराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तारी में लेने वाली टीम –

1-प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य के नेतृत्व में

2.उ0नि0 सुबाष सिंह थाना महराजगंज आजमगढ़

3.का0 नीरज कुमार थाना महराजगंज आजमगढ़